पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण

वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, नौरोजी नगर, नई दिल्ली

सूचना सं. PFRDA/02/16/2/0001/2017-RnS-NPST **दिनांक:** 13-11-2024

<u>एनपीएस न्यास के बोर्ड में एक न्यासी की नियुक्ति हेतु सूचना</u>

पीएफआरडीए अधिनियम, 2013 की धारा 3 के तहत स्थापित पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) वर्तमान में राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली और अटल पेंशन योजना को नियंत्रित करता है। पीएफआरडीए को पेंशन फंड की स्थापना, विकास और विनियमन करके वृद्धावस्था आय सुरक्षा को बढ़ावा देने, पेंशन फंड की योजनाओं के लिए ग्राहकों के हितों की रक्षा करने और उससे जुड़े या प्रासंगिक मामलों के लिए बाध्य किया गया है।

प्राधिकरण ने व्यवस्थापक के रूप में अपनी शक्तियों के तहत राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास (एनपीएस न्यास) की स्थापना की है, और जो न्यासियों के बोर्ड के रूप में उक्त न्यास के नाम पर प्रबन्धन के तहत एनपीएस के अधीन अभिदाताओं की निधियों का स्वामी है। एनपीएस न्यास एनपीएस संरचना के अधीन एक मध्यवर्ती इकाई है |

इस न्यास की प्रकृति निजी है और यह अपने कर्तव्यों और जिम्मेदारियों का निर्वहन के लिए पीएफआरडीए अधिनियम, 2013, पीएफआरडीए (एनपीएस ट्रस्ट) विनियम 2015, भारतीय ट्रस्ट अधिनियम, 1882 और ट्रस्ट डीड दिनांक 27 फरवरी 2008 के प्रावधानों द्वारा शासित होता है।

विनियमों के अनुसार इसमें अधिकतम 11 न्यासियों की नियुक्ति का प्रावधान है, जो कानून या वित्त या अर्थशास्त्र या अकाउंटेंसी या सामाजिक कल्याण या प्रशासन में पर्याप्त शिक्षा के साथ सिद्ध प्रबंधन कौशल, अनुभव, क्षमता, अखंडता और प्रतिष्ठा के साथ उपयुक्त रूप से योग्य हों।

31 अक्टूबर 2024 तक न्यास के नाम पर प्रबंधनाधीन संपत्ति, 7.90 करोड़ (लगभग) ग्राहकों आधार के साथ 13.39 लाख करोड़ रुपये (लगभग) है। वर्तमान में न्यास का केवल एक ही कार्यालय है, जो कि नई दिल्ली में है।

प्राधिकरण वर्तमान में एनपीएस न्यास के न्यासी बोर्ड में एक न्यासी नियुक्त करने का इच्छुक है। इस पद हेतु ऐसे आवेदक की आवश्यकता है जो भारत का नागरिक हो और उपरोक्त विनियमों के विनियम 5 के तहत निर्धारित पात्रता शर्तों को पूरा करता हो और साथ ही प्राधिकरण द्वारा 12 जनवरी 2018 को जारी न्यासियों की नियुक्ति के लिए दिशानिर्देश का पालन करता हो

और जो **मुख्यतः विधि या वित्त या अर्थशास्त्र या लेखाकर्म या समाज कल्याण या प्रशासन में समुचित रूप से अहरित हो तथा प्रबंध कौशल, अनुभव, क्षमता, सत्यनिष्ठा और प्रतिष्ठा वाला व्यक्ति हो।**

आवेदक को सरकार/या अंतरराष्ट्रीय संगठनों में वरिष्ठ स्तर के पदों पर काम करने का अनुभव होना चाहिए/या वरिष्ठ शिक्षाविद् होना चाहिए या उन संगठनों में बोर्ड स्तर के पदों पर काम करने का अनुभव होना चाहिए जहां उन्होंने ऑडिट या निवेश समितियों जैसी समितियों का नेतृत्व किया हो या नियामक निकायों या अन्य वैधानिक निकाय में वरिष्ठ पदों पर काम किया हो।

न्यासी का प्रारंभिक कार्यकाल नियुक्ति की तिथि से तीन वर्ष की अवधि के लिए होगा, जिसके बाद कार्यकाल में केवल दो वर्ष तक की अवधि के विस्तार का प्रावधान होगा |

इसके लिए अधिकतम आयु सीमा सत्तर (70) वर्ष है, जिसके बाद न्यासी का कार्यकाल समाप्त हो जाएगा। सभी न्यासी प्राधिकरण द्वारा समय समय पर निर्धारित, न्यासी बैठक हेतु बैठक शुल्क एवं न्यासी बैठक हेतु अन्य खर्चो जैसे यात्रा शुल्क एवं यात्रा के दौरान प्रवास शुल्क आदि के लिए पात्र हैं|

न्यास में अपनी सेवाएं प्रदान करने के इच्छुक आवेदक, आवेदन के रूप में अपना विस्तृत बायोडाटा (स्पष्ट रूप से उनकी जन्मतिथि, अनुभव, संगठन का क्षेत्र/प्रकृति जिसमें काम किया, धारित पद और संभाले गए कार्य का विवरण आदि दर्शाते हुए) ईमेल द्वारा **dept-regfm@pfrda.org.in** पर **12 दिसम्बर 2024** तक भेज सकते हैं।

एनपीएस और न्यास की गतिविधियों के बारे में अधिक जानकारी प्राधिकरण की वेबसाइट के अलावा एनपीएस न्यास की वेबसाइट www.npstrust.org.in पर भी देखी जा सकती है। प्राधिकरण की वेबसाइट पर पीएफआरडीए अधिनियम, 2013 तथा न्यासी की नियुक्ति के लिए विनियम एवं दिशानिर्देश भी उपलब्ध हैं।

ऐसे न्यासी का चयन प्राधिकरण द्वारा गठित एक समिति द्वारा किया जाएगा, जैसा कि दिशानिर्देशों में उल्लेख किया गया है। इस प्रकार नियुक्त न्यासी, प्राधिकरण या न्यास का कर्मचारी नहीं होगा। प्राधिकरण, प्राप्त आवेदनों की कुल संख्या के बावजूद, ऐसे नामों को, जैसा कि वह उचित समझे, नियुक्ति हेतु आगे की प्रक्रियाओं पर विचार करने के लिए शॉर्टलिस्ट करने का अधिकार रखता है। किसी इच्छुक व्यक्ति से केवल आवेदन प्राप्त होने या उसके बाद शॉर्टलिस्ट होने मात्र से किसी भी व्यक्ति को पद पर नियुक्त होने का अधिकार प्राप्त नहीं होगा बल्कि यह प्राधिकरण के निर्णय पर निर्भर होगा।

मुख्य महाप्रबन्धक
विनियमन विभाग – निधि प्रबंधन (एनपीएस न्यास)

****

पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण
PENSION FUND REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY

PENSION FUND REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY
WORLD TRADE CENTER, NAUROJI NAGAR, NEW DELHI

Ref. No. PFRDA/02/16/2/0001/2017-RnS-NPST **Dated: 13-11-2024**

NOTICE FOR APPOINTMENT OF ONE TRUSTEE ON THE BOARD OF TRUSTEES OF NPS TRUST

Pension Fund Regulatory and Development Authority (PFRDA) established under Section 3 of the PFRDA Act, 2013 presently regulates National Pension System and Atal Pension Yojana. PFRDA is mandated to promote old age income security by establishing, developing and regulating pension funds, to protect the interest of the subscribers to the schemes of pensions funds and for matters connected therewith or incidental thereto.

The Authority in its capacity as Settlor, has established the National Pension System Trust (NPS Trust) being the Board of Trustees who are the legal owner of the funds of the subscribers under NPS. NPS Trust is an intermediary under the NPS architecture. The Trust is in the nature of a private trust and discharge of its duties and responsibilities, are governed by the provisions of the PFRDA Act, 2013, PFRDA (NPS Trust) Regulations 2015, the Indian Trust Act, 1882 and the provisions of the Trust Deed dated 27th Feb 2008. The regulations provide for appointment of a maximum of 11 Trustees, suitably qualified with sufficient education in law or finance or economics or accountancy or social welfare or administration with proven management skill, experience, capacity, integrity and reputation. The assets under management in the name of the Trust as on 31st Oct 2024 are Rs 13.39 lakh crore (approx.) with 7.90 crore subscribers (approx.) base. The Trust presently has only one office in New Delhi.

The Authority presently is desirous of appointing one Trustee on the Board of Trustees of NPS Trust. The person applying for the post should be a citizen of India and satisfying the eligibility conditions as stipulated under Regulation 5 of the aforementioned regulations as also the Guidelines for Appointment of Trustees dated 12th Jan 2018 issued by the Authority, **preferably having knowledge and experience in law or finance or economics or accountancy or social welfare or**

administration with proven management skill, experience, capacity integrity and reputation.

The applicant should have worked at senior level positions in the Government/ or international organizations/ or have been senior academicians or have occupied Board level posts in organizations wherein they have headed committees like Audit or investment committees or have held senior positions with regulatory bodies or other statutory bodies.

The initial term of the Trustee shall be for a period of three years from the date of appointment, with provision of extension for not more than two years. The maximum age limit, beyond which a trustee shall cease from office is seventy years. The Trustees are eligible to receive sitting fees and such other expenses towards travelling, lodging and boarding etc. as are determined by the Authority from time to time.

Applicants, who are desirous of contributing their expertise to the NPS Trust, may kindly send their detailed resume (clearly indicating their date of birth, experience, sector/nature of organization worked in, details of position held and work handled etc.), by mail to: **dept-regfm@pfrda.org.in** by **12th Dec 2024** in support of their application.

Further information on NPS and the activities of the NPS Trust, besides the website of the Authority can also be accessed on the website of the NPS Trust at www.npstrust.org.in. The PFRDA Act, 2013, the regulations notified thereunder and the guidelines for appointment of trustee are also available on the website of the Authority.

The selection of such trustees shall be made by a committee constituted by the Authority as mentioned in the guidelines. The trustee so appointed shall not be an employee either of the Authority or the Trust. Notwithstanding the total number of applications received, the Authority reserves the right to shortlist such names, as it may deem fit and consider for further processes towards appointment. Mere receipt of application from any interested person or shortlisting thereafter, shall not confer any right on any person to be so appointed, which shall be at the sole discretion of the Authority.

Chief General Manager
Regulation Department -Fund Management (NPS Trust)

****